न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश बारैठ {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 23/2017

1. दिलबाग सिंह पुत्र बलवंत सिह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर
2. हरमीत सिंह पुत्र हरेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर
3. अमरीक सिंह पुत्र दिलबाग सिह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर
4. हरेन्द्र सिंह पुत्र दिलबाग सिह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर
5. रावविरेन्द्र सिंह पुत्र दिलबाग सिह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर
6. रणवीर सिंह दत्तक पुत्र अमरीक सिह जाति जटसिख निवासी 25 एफ तहसील श्रीकरणपुर

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थी--

दावा अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 6.11.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए पेश कर निवेदन किया कि चक 25 एफ की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के मु0न0 22 के किला न0 14 मे 2 बिस्वा चौडाई 165 फुट लम्बाई पूर्व दिशा मे व किला न0 7 मे 2 बिस्वा चौडाई व 115.5 फुट लम्बाई पूर्व दिशा मे व किला न0 17 मे 2 बिस्वा चौडाई व 148.5 फुट लम्बाई पूर्व दिशा मे व किला न0 24 के 2 बिस्वा चौडाई व 148.5 फुट लम्बाई दक्षिण की दिशा मे है को सरकारी रास्ता मंजूर करवाना चाहता है तथा मौका पर रास्ता छोड रखा है, रास्ता चालू है रकवा पर किसी अदालत का कोई स्थगन आदेश नही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि उक्त रास्ता को सरकारी मंजूर करके राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1302 दिनांक 02.11.2017 से प्रेषित की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 25 एफ के मु0 नं0 22 पर मौके पर उक्त रास्ता चालू है तथा उक्त रकवे बावत किसी कोर्ट कचहरी मे विवाद नही है। गैरमुमकिन रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि मु0 न0 22 के किला न0 25/1 की 0.023 है0 मे से 0.023 है0 रकवा दिलबाग सिंह पुत्र बलवंत सिंह, हरमीत सिंह पुत्र हरिन्द्र सिंह व अमरीक सिंह, हरिन्द्र सिंह पिसरान दिलबाग सिंह जाति जटसिख एवं इसी प्रकार मु0 न0 22 के किला न0 24 की 0.253 है0 मे से पूर्व दिशा से लगता हुआ 0.025 है0 रकबा व इसी किला न0 24 की उत्तर दिशा से लगता हुआ 0.022 है0 रकवा रणवीर सिंह दतक पुत्र अमरीक सिंह जाति जटसिख एवं किला न0 17/1 की 0.189 है0 मे से 0.022 है0 रकवा हरिन्द्र सिंह पुत्र दिलबाग सिंह जाति जटसिख तथा किला न0 14 की 0.253 है0 मे से 0.025 है0 रकवा व किला न0 7 की 0.139 मे से 0.022 है0 रकबा रावविरेन्द्र सिंह पुत्र दिलबाग सिंह जाति जटसिख के नाम खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार मौके पर रास्ता चालू है तथा इस रकवे पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। प्रार्थीगण इसे गैरमुमकिन रास्ता हेतु स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 25 एफ की जमाबंदी सम्वत 2072 ता 75 के मु0 न0 22 के किला न0 25/1 की 0.023 है0 मे से 0.023 है0 रकबा दिलबाग सिंह पुत्र बलवंत सिंह, हरमीत सिंह पुत्र हरिन्द्र सिंह व अमरीक सिंह, हरिन्द्र सिंह पिसरान दिलबाग सिंह जाति जटसिख एवं इसी प्रकार मु0 न0 22 के किला न0 24 की 0.253 है0 मे से पूर्व दिशा से लगता हुआ 0.025 है0 रकवा व इसी किला न0 24 की उत्तर दिशा से लगता हुआ 0.022 है0 रकवा रणवीर सिंह दतक पुत्र अमरीक सिंह जाति जटसिख एवं किला न0 17/1 की 0.189 है0 मे से 0.022 है0 रकवा हरिन्द्र सिंह पुत्र दिलबाग सिंह जाति जटसिख तथा किला न0 14 की 0.253 है0 मे से 0.025 है0 रकबा व किला न0 7 की 0.139 मे से 0.022 है0 रकवा रावविरेन्द्र सिंह पुत्र दिलबाग सिंह जाति जटसिख कुल 0.139 है0 रकवा को गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किये

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

<u>अनवान प्रकरण दिलबाग सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए</u>

<u>प्रकरण संख्या 23/2017</u>

जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यह रास्ता प्रार्थीगण अपनी सहमति से स्वीकृत करवा रहे है, इसलिए इस रास्ता की भूमि के बदले कोई राशि या भूमि देय नही होगी। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। आदेश की एक प्रति प्रार्थीगण को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{मुकेश बारेठ आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी{राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner